



जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०


(संयोजित करार का उपकरण)

जु. पावर हाऊस, इन्टरनेशनल रैरिवा, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651227 (का) फेक्स नं. 2651313
क्रमांक- एमि/ओविविनिनि/अनु-पीपीएम/पत्रा०सामान्य / प्र०सं० 2711 जोधपुर, दिनांक 27/11/05

आदेश

दिनांक 28/29.11.2005 को 88 वीं समन्वय समिति में निर्णय लिया कि डिस्कॉम इसकी क्रियान्विति करे।

1. सहायक अभियन्ता (स्वरा) योजना को क्रियान्विति करके भौतिक प्रगति प्रत्येक माह की दिनांक 10 तक निर्धारित प्रारूप में प्रगति मुख्यलेखा अधिकारी (ग्रावि) राराविप्रनि को प्रेषित की जावे।
2. सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (पवस) हर माह प्रगति रिव्यू करे व सहायक अभियन्ता को उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करे तथा क्या कार्यवाही करनी है बतावे व इसकी सूचना वृत्त अधिकारी को प्रेषित करे। तथा अधिशाषी अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करे कि प्रगति बिन्दु संख्या एक अनुसार प्रेषित की जा रही है।
3. वृत्त अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्रान्तर्गत खण्डवार योजना की प्रगति व उनका क्रियान्वन योजना के अनुसार जैसे 33 केवी कार्य, 11 केवी कार्य, इन्टर कनेक्शन कार्य व विभिन्न श्रेणीयों के कनेक्शन की प्रगति व इन सबका नोट व क्या किया जाना है मुख्य अभियन्ता द्वारा, उसकी सूचना मुख्य अभियन्ता को देगे। वृत्त अधिकारी ये सुनिश्चित करेगे कि योजना का वार्षिक लक्ष्य तय करके महावार बटवारा करके उपखण्डवार बतायेगे तथा निर्धारित लक्ष्य उप मुख्य अभियन्ता (ग्राविनि) जयपुर व मुख्य लेखाधिकारी (ग्रावि) राराविप्रनि को भी प्रेषित करेगे।
3. मुख्य अभियन्ता अपने स्तर पर दो माह में एक बार योजना की प्रगति अवलोकन करके क्षेत्रीय अधिकारियों को आने वाली समस्याओं का निराकरण करेगे जिससे योजना की प्रगति लक्ष्यानुसार व समयावधि में प्राप्त हो सके।
4. मुख्य अभियन्ता मय वृत्त अधिकारी हर दो माह के एक बार पूर्ण (समी) योजनाओं की प्रगति व उरामे आ रही समस्याओं का निराकरण करेगे व ताकि योजना का सफल क्रियान्वित हो सके व उचित सुझाव प्रबन्ध निदेशक महोदय को प्रेषित करेगे।
5. वृत्त अधिकारी सुनिश्चित करेगे कि अध्यक्ष कार्यालय व नोडल अधिकारी से चाही गई सूचना निर्धारित प्रपत्र में समय पर प्रेषित की जावे।


(एच.एस.देवडा)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।